दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 43)

[12 अगस्त, 2002]

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

1922 के अधिनियम 8 की धारा 5 का संशोधन ।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 5 की उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1998 का दिल्ली अधिनियम 9

"परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध ऐसी किसी शिक्षा संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे जो इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 के अधीन निगमित इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ।" ।

राष्ट्रपति ने दि दिल्ली यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Delhi University (Amendment) Act, 2002 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—3232OLW—6-11-2003.